

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:- लक्ष्मण

प्रथम अपील संख्या 24/2023

धर्मपाल पुत्र श्री बाबूलाल, जाति रैगर, निवासी वार्ड नं0 5, रैगरों का मौहल्ला, चिडावा, तहसील
जिला झुंझुनूं, मो0न0 7734893861

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) चिडावा ।

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील ।

आदेश

दिनांक

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना अधिनियम के तहत दिनांक 24.01.2023 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील 24/2023 पर दिनांक 24.01.2023 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना (तहसीलदार) चिडावा के विरुद्ध पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन सूचना अधिकारी (तहसीलदार) चिडावा को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) चिडावा से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2023 दिनांक 25.01.2023 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) चिडावा ने पत्रांक आरटीआई/2023/06 दिनांक 09.01.2023 द्वारा अवगत कराया है कि प्रार्थी धर्मपाल पुत्र श्री बाबूलाल, जाति रैगर, निवासी वार्ड नं0 5, मौहल्ला, चिडावा का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र दिनांक 07.12.2022 कार्यालय मे प्राप्त हुआ है। प्रार्थी ने चिडावा के मंदिरों की कृषि भूमियों के संबंध मे सूचना आवेदक को उक्त सूचना इस कार्यालय के पत्रांक भू0अ0/2022/2421 दिनांक 05.12.2022 सूचित किया गया है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) चिडावा द्वारा पत्रांक आरटीआई/2023/06 दिनांक 09.01.2023 के द्वारा अवगत कराया है कि प्रार्थी धर्मपाल पुत्र श्री बाबूलाल, जाति रैगर, निवासी वार्ड नं0 5, मौहल्ला, चिडावा का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र दिनांक 07.12.2022 कार्यालय मे प्राप्त हुआ है। प्रार्थी ने चिडावा के मंदिरों की कृषि भूमियों के संबंध मे सूचना आवेदक को उक्त सूचना उनके कार्यालय के पत्रांक भू0अ0/2022/2421 दिनांक 05.12.2022 सूचित किया गया है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय जज श्री जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 09.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(एल0एस0व)

जिला कलक्टर
जिला कलक्टर